बैठक कार्यवाही।

दिनांक 29.05.2019 को उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता मे राजस्व विभाग से सम्बधित बिन्दुओं पर आयोजित बैठक मे निम्न अनुसार दिशा–निर्देश जारी किए गए:–

1. फसल रबी 2019 मे भारी वर्षा से औलावृष्टि से खराब हुई फसलो के खराबा के आकंलन मे कृषि विभाग व राजस्व विभाग के आंकड़ो मे भिन्नता होने के कारण जो किसान बीमा कम्पनी की पॉलिसी के अन्तर्गत कवर नही होते है या कृषि विभाग द्वारा आंकलन की गई मुआवजा राशि राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि के नार्मज से कम अंकलित की गई है। इस सम्बंध मे निदेशक कृषि एंव किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार को इन किसानों को उचित मुआवजा हेतू पॉलिसी मे प्रावधान करने हेतू पत्राचार किया जावे।

   कार्यवाही:– (जिला राजस्व अधिकारी / सदर कानूनगो / डी0डी0ए0)

2. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि फसल रबी 2019 मे आगजनी से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजा हेतू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बिमित किसान जोकि बीमा कम्पनी की पॉलिसी के अन्तर्गत कवर नही होते है (क्योंकि उक्त बीमा कम्पनी द्वारा केवल प्राकृतिक आग की स्थिति मे मुआवजा दिया जाता है उक्त आगजनी इसमे कवर नही होती है) इनका स्पैशल केस सरकार को भेजा जावे।

   कार्यवाही:– (जिला राजस्व अधिकारी / एफ0आर0ए0)

3. ई–गिरदावरी को सुचारू रूप से कियान्वित करने के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि ई–गिरदावरी मे टैबलैट की गुणवत्ता मे सुधार करने हेतू नए टैब खरीदने व इस सम्बंध मे दिनांक 28.05.2019 को निदेशक भू–अभिलेख, हरियाणा द्वारा जारी हिदायतों का दृढता से पालन करे।

   कार्यवाही:–(जिला राजस्व अधिकारी / सदर कानूनगो / डी0आई0ओ0 सभी तहसीलदार / उपतहसीलदार)

4. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी उपमण्डल अधिकारी (ना0) सम्बधित तहसीलदार/ लोक निर्माण विभाग के एस0डी0ओ0 / जे0ई0 के साथ संयुक्त निरीक्षण करके 3 दिन के अन्दर–2 रिपोर्ट करे कि उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत राजस्व विभाग से सम्बधित कितने भवन / पटवारखाना / कार्यालय / रिहायशी फलैट को रिपेयर करवाया जाना है अथवा कितने नए बनाने जाने है ताकि नियमानुसार करके प्रस्ताव सरकार को भेजा जा सके।

   कार्यवाही:–(समस्त उपमण्डल अधिकारी (ना0) / कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, भवन एंव मार्ग फतेहाबाद / जिला राजस्व अधिकारी, फतेहाबाद।)

5. जिला स्तर पर स्थापित रिकार्ड रूम को मार्डन रिकार्ड रूम के अनुरूप विस्तार हेतू इसके साथ ही एक और बिल्डिंग बनाने के लिए प्रस्ताव सरकार को भेजे।

कार्यवाही:–(जिला राजस्व अधिकारी/एस0के0/कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, भवन एंव मार्ग, फतेहाबाद)

6. जिला मुख्यालय पर लघु सचिवालय के विस्तार हेतू खण्ड–3 के भवन निर्माण हेतू जगह चिहिन्त करके एस्टीमैंट तैयार करके प्रस्ताव सरकार को भेजे।

कार्यवाही:– (कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, भवन एंव मार्ग, फतेहाबाद)

7. अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि लघु सचिवालय मे वाहन पार्किंग के लिए जगह चिहिन्त करे तथा कार्यालयों की मरम्मत/ रैनोवेशन/इंटिरियर आदि का एस्टीमैंट तैयार करके प्रस्ताव सरकार को भेजे।

कार्यवाही:– (कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, भवन एंव मार्ग, फतेहाबाद)

8. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि विभिन्न विभागों की खाली पड़ी भूमि/भवन जो प्रयोग मे नही लाए जा रहे है को चिहिन्त करे ताकि इन्हे सरकारी कार्य हेतू प्रयोग मे लाया जा सके।

कार्यवाही:– (जिला राजस्व अधिकारी/ए0एम0सी0 शाखा)

9. उपायुक्त कैम्प कार्यालय के नए भवन निर्माण हेतू प्रस्ताव तैयार करके सरकार को भेजने बारे निर्देश दिए गए।

10. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि जिन राजस्व अधिकारियों (SDM /Teshildar /NT) के पास सरकारी रिहायशी भवन नही है या रिपेयर योग्य है उनका ब्यौरा तैयार करके प्रस्ताव सरकार को भेजे।

कार्यवाही:– (कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग, भवन एंव मार्ग, फतेहाबाद/एम0ए0 शाखा)

11. जिन राजस्व अधिकारियों (SDM /Teshildar/NT) के पास सरकारी गाडी नही है या 5 साल से पुरानी है उसके स्थान पर नई गाड़ी खरीदने/रिपेयर करवाने हेतू प्रस्ताव सरकार भेजने बारे निर्देश दिए गए।

कार्यवाही:– (नगराधीश/ नजारत शाखा)

12. अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि लिपिकों के रिक्त पदों के विरूद्ध HARTRON के माध्यम से [Computer operator] रखे जाये तथा कार्यालय से वेतन जारी किया जावे।

कार्यवाही:– (नगराधीश/ स्थापना शाखा)

13. DITS के माध्यम से जो भी सामान खरीद करके सम्बधित विभाग/कार्यालय को उपलब्ध करवाया गया है उस सामान के रख–रखाव अथवा उस पर किसी प्रकार के खर्चे की अदायगी सम्बधित विभाग द्वारा अपने कार्यालय खर्च के मद मे से की जावे तथा इसका रिकार्ड भी अपने स्तर पर पूर्ण/सुरक्षित रखे। इस सम्बंध मे DITS कोई जिम्मेवारी नही होगी।

कार्यवाहीः– **(DIO/All concern offices)**

14. अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 14.06.2019 को Chief Architecture Office Chandigarh से आने वाले वास्तुकर के साथ कार्यकारी अभिंयता लोक निर्माण विभाग, भवन एंव मार्ग,फतेहाबाद/जिला राजस्व अधिकारी सहित निर्माण किए जावे भवन/रिहायशी का निरीक्षण किया जायेगा तथा इस सम्बंध में निर्देश दिए गए कि दिनांक 13.06.2019 तक उपरोक्तानुसार प्रस्ताव हर हाल मे कार्यालय मे पहुंच जाने चाहिए ताकि इस सम्बंध अनुमानित खर्च बारे वास्तुकार से विचारविर्मश करके सरकार से बजट की मांग की जा सके।

कार्यवाहीः– (कार्यकारी अभिंयता लोक निर्माण विभाग, भवन एंव मार्ग, फतेहाबाद/जिला राजस्व अधिकारी फतेहाबाद)

उपायुक्त फतेहाबाद।

कार्यालय उपायुक्त फतेहाबाद।
क्र०सं० 618-25 / रीडर दिनांक 11/06/2019
इसकी एक-2 प्रति निम्नलिखित को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।-
(1) उपमण्डल अधिकारी (ना०) फतेहाबाद/रतिया/टोहाना
(2) तहसीलदार फतेहाबाद/रतिया/टोहाना/
(3) उपतहसीलदार भट्टू कलां/भूना/जाखल/कुल्लां/
(4) कार्यकारी अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन एवं मार्ग) फतेहाबाद।
(5) जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी फतेहाबाद/
(6) उपनिदेशक कृषि विभाग फतेहाबाद/
(7) शाखा सहायक EA/DN/MA/FRA/SK/AMC/HRA/PLA/CEA/DRA/LA

रीडर
कृते: उपायुक्त फतेहाबाद